

07/06/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अन्तुण
न्यायालय समय में वकील प्रार्थी को
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगाई
लेकिन कोई उप. नहीं आया। अतः प्रार्थी
का आवेदन अदम पैरवी, अदम हाजरी
में खारीज किया जाता है। पत्रावली नैसर्ग
शुमार होकर वापिस दफ्तर है।

उपस्थान अधिकारी
बीहटन